

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 162

No. 195]

DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941

[N.C.T.D. No. 162

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सं. 20/2018-दिल्ली कर (दर)

फा. सं. 03(11)/वित्त (राज-1)/2019-20/डीएस-VI/377.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 5/2017, राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून 2017, जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, फा. सं. 03(15)/वित्त(राज-1)/2017-18/डीएस-VI/371 दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,

“वशर्ते कि,-

- (i) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और
- (ii) उक्त वस्तुओं के मामले में, बाकी पढ़े कोई भी अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कर के भुगतान के पश्चात तथा जुलाई माह 2018 तक, 31 जुलाई, 2018 तक प्राप्त अंतःवर्ती आपूर्ति पर, समाप्त हो जाएगी।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना सं- 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 05/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, फा. सं. 03(15)/वित्त (राज-1)/2017-18/डीएस-VI/371 दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2017- राज्य कर (दर) दिनांक 28 नवम्बर, 2017 जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV फा. सं. 03(62)/वित्त(राज-1)/2017-18/डीएस-VI/770 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd September, 2019

No. 20/2018-State Tax (Rate)

F. No. 3 (11)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/377.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/371, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that,-

- (i) nothing contained in this notification shall apply to the input tax credit accumulated on supplies received on or after the 1st day of August, 2018, in respect of goods mentioned at serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C and 7 of the Table below; and
- (ii) in respect of said goods, the accumulated input tax credit lying unutilised in balance, after payment of tax for and up to the month of July, 2018, on the inward supplies received up to the 31st day of July, 2018, shall lapse.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of July, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal Notification No. 05/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/371 dated 30th June, 2017 and last amended vide notification No. 44/2017-State Tax (Rate), dated the 28th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F. 3(62)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/770 dated 28th November, 2017.